

6753

कार्यालय , रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (प0क0) चंडीगढ़

कार्यालय आदेश भाग - II 383 संख्या -

दिनांक - 06-08-2020

विषय - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति रक्षा लेखा विभाग स्थापना

श्री/श्रीमती Ravinder Kaur, DEO'B' लेखा सं० 8330483

इस कार्यालय में कार्यरत श्री/श्रीमती Ravinder Kaur, DEO'B' लेखा सं० ..... द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना देने तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 48 'क' के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा उसे स्वीकृत करने पर उन्हें दिनांक 03-11-2020 (AN) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर जाने की अनुमति दी जाती है और उसी तारीख से उन्हें पेंशन स्थापना को स्थानांतरित दिव्य जाता है। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 5 के अनुसार सेवा निवृत्ति की तारीख को कार्य दिवस नहीं माना जाएगा।

जिन मांगों की पूरी वसूली नहीं हुई है तथा सेवा निवृत्ति संबंधित वेतन ग्रुप द्वारा निर्धारित की जाएगी और पूर्वानुमानित पेंशन/उपदान के लिए पेंशन संबंधी कागज भेजते समय उसकी सूचना दी जाएगी। इसे कड़े अनुपालन के लिए कृपया नोट किया जाए।

इस कार्यालय आदेश भाग - II में घोषित संशोधन के विवरण की सूचना इस कार्यालय को दी जाए।

AVTH:- RCDA (WR) CND Office Note No-AN/VIII/ (20-8/Pen) Ravinder Kaur, dated- 06-08-2020

सं० प्रशा० / VIII / Ex-x / Pension / RK  
दिनांक - 06-08-2020

[Signature]  
रक्षा लेखा सहा० नियंत्रक

प्रतिलिपि -

1. रक्षा लेखा महानियंत्रक , उलन बटार मार्ग , पालम , दिल्ली छावनी
2. रक्षा लेखा मुख्य नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद
3. रक्षा लेखा नियंत्रक (निधि) मेरठ
4. यात्रा/भत्ता अनुभाग (स्थानीय)
5. व्यक्तिगत पत्राचार फाइल
6. कार्यालय आदेश फाइल
7. प्रशासन अनुभाग के सभी ग्रुप (स्थानीय)
8. रक्षा लेखा नियंत्रक (पश्चिमी कमान) को ओप्रेटिव सोसाइटी
9. लेखा अनुभाग (स्थानीय)
10. श्री/श्रीमती Ravinder Kaur, DEO'B' लेखा सं० 8330483 'R' Section
11. The Of/c 'R' Section (Local) (स्थानीय)

[Signature]  
वरि० लेखा अधिकारी (प्रशा०)